



Neutral Citation No. - 2026:AHC:166515

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 38771 वर्ष 2025

अंकित और अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अनिल कुमार सविता

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. आवेदकों की ओर से आज न्यायालय में दाखिल पूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वर्तमान आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के अंतर्गत आवेदक द्वारा आक्षेपित आरोप-पत्र दिनांक 30 दिसंबर, 2022, संज्ञान/समन आदेश दिनांक 9 अक्टूबर, 2024 तथा आपराधिक मुकदमा संख्या 467 सन् 2024 (राज्य बनाम राज कुमार और अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना करते हुए दाखिल किया गया है, जो वाद अपराध संख्या 567 सन् 2022, धारा 323, 504 एवं 506 भा.दं.सं., थाना-दिबियापुर, जिला-औरैया से उत्पन्न हुई है तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया के न्यायालय में लंबित है।

4. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 25 अक्टूबर, 2022 को 13:25 बजे प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2/शिकायतकर्ता द्वारा आवेदकों सहित तीन नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिनांक 22 अक्टूबर, 2022 को प्रातः 8:00 बजे जब सूचनाकर्ता/शिकायतकर्ता अपने घर के पीछे खड़ी थी, तब आवेदक संख्या 2 राजकुमार उसके पास आया और बुरी नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब सूचनाकर्ता ने चीख-पुकार की, तब उसका पुत्र उमंग वहां पहुंचा। इसी बीच आवेदक संख्या 2 का पुत्र आवेदक संख्या 1 तथा सह-अभियुक्त सोनू वहां आए और उमंग को पकड़कर मारने लगे। आवेदक संख्या 1 ने उमंग के सिर पर लोहे की रॉड से कई बार प्रहार किया। उस समय सूचनाकर्ता का पुत्र बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके सिर से खून बह रहा था। सूचनाकर्ता थाना-दिबियापुर पहुंची और उमंग को सरकारी अस्पताल, दिबियापुर भेजा, जहां से चोटों की गंभीरता को देखते हुए उसे तत्काल जिला अस्पताल, चिचोली भेज दिया गया। चिचोली अस्पताल में उमंग को बेहोश देखकर उसे स्वास्थ्य वाहन द्वारा सफाई भेजा गया। वहां चिकित्सकों की देखरेख में उसका उपचार किए जाने के पश्चात उसका पुत्र होश में आया। चूंकि सूचनाकर्ता घर पर अकेली थी, इसलिए वह बच्चे की देखभाल के लिए उसके साथ रही। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के पश्चात जांच प्रारंभ हुई और उसके पूर्ण होने पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विवेचक ने आरोप-पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया; अतः वर्तमान आवेदन दाखिल किया गया है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठे एवं निराधार आरोपों के आधार पर दर्ज की गई है, जो केवल आवेदक को परेशान करने के उद्देश्य से विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग मात्र है।

6. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से आवेदकों के विरुद्ध संज्ञेय अपराध बनता है। इस स्तर पर आवेदक के बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता। अतः आवेदक किसी प्रकार की राहत का हकदार नहीं है।

7. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के परिशीलन तथा इस स्तर पर मामले के तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। बार में की गई सभी प्रस्तुतियां विवादित तथ्यों के प्रश्नों से संबंधित हैं, जिनका इस न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के अंतर्गत निर्णय नहीं किया जा सकता। इस स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया मामला देखा जाना है, जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट/परिवाद में लगाए गए आरोपों को, यदि उनकी समग्रता में लिया जाए, तो प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरुद्ध संज्ञेय अपराध बनता हो।

8. उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति की अधिकारिता का आह्वान करने के लिए विधि की स्थिति निम्नलिखित निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित की जा चुकी है:-

1. आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866;

2. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनाम हरियाणा राज्य, (1977) 4 एस सी सी 451;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम स्वपन कुमार गुहा, (1982) 1 एस सी सी 561;
4. धनलक्ष्मी बनाम. आर प्रसन्ना कुमार, 1990 सप्लीमेंट एससीसी 686;
5. हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल, 1992 सप्लीमेंटी (1) एस सी सी 335;
6. बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 सप्लीमेंटी (1) एस सी सी 222;
7. बी.एस. जोशी बनाम हरियाणा राज्य, (2003) 4 एस सी सी 675;
8. सनापारेड्डी महीधर शेषगिरि और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, (2007) 13 एस सी सी 165;
9. तेलंगाना राज्य बनाम. हबीब अब्दुल्लाह जिलानी और अन्य, (2017) 2 एस सी सी 779;
10. मेंसर निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 2021 एआईआर एससी 1918.

9. मामले के समग्र तथ्यों पर विचार करने तथा विधि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान आवेदन में कोई मेरिट नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऐसा दर्शाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि परिवाद/प्रथम सूचना रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण, निराधार एवं उत्पीड़नात्मक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का कथन तथा सूचनाकर्ता/शिकायतकर्ता के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज किए गए कथन और घायल व्यक्ति के कथन तथा चोट आख्या, अभियोजन के कथन का समर्थन करते हैं। वर्तमान मामले की आपराधिक कार्यवाही को प्रारंभिक स्तर पर निरस्त करने हेतु हस्तक्षेप को असाधारण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है।

10. परिणामस्वरूप, संपूर्ण कार्यवाही, आरोप-पत्र तथा संज्ञान आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, आवेदन **खारिज** किया जाता है।

10 अगस्त, 2026

सुशील/-

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।